राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु (अ) सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ चयन परीक्षा तथा (ख) कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स संविदा पद पर सीधी भर्ती परीक्षा के लिये

नियम पुस्तिका

(वित्तीय वर्ष 2021–22)

RULE BOOK

2021-22

NATIONAL HEALTH MISSION,
MADHYA PRADESH, BHOPAL

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म. प्र. के अंतर्गत
(अ) सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हैल्थ में प्रवेश तथा
(ख) कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स संविदा पद पर सीधी भर्ती परीक्षा
हेतु चयन परीक्षा के लिए

महत्वपूर्ण जानकारी

पात्रताः–

1. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ में प्रवेश हेतुः
   - अ. भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से बी.एससी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एससी. या जी.एन.एम. उम्मीदवार।
   - ब. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध महाविद्यालयों से बी.ए.एम.एस., उत्तीर्ण उम्मीदवार।

2. कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स संविदा पद पर सीधी भर्ती परीक्षा हेतुः
   - बी.एस.सी. (नर्सिंग)/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) के साथ कम्युनिटी हैल्थ में एकीकृत सर्टिफिकेट कोर्स जो भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यकृत है (जिसके लिये अंतिम वर्ष की परीक्षा 2020–21सत्र में आयोजित की जायेगी) (B.Sc. (Nursing) OR Post Basic B. Sc. (Nursing) with Integrated Certificate Course in Community Health recognized by Indian Nursing Council, New Delhi (For which final year of examination shall be held in 2020-21 session)

3. परीक्षा शहर SAMS की वेबसाईट पर दर्शाये अनुसार।

4. आवेदन–पत्रों की उपलब्धता :–दिनांक 2 फरवरी से 17 फरवरी 2021 तक

वित्तीय वर्ष 2021–22

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ सत्र अप्रैल–2021, जुलाई–2021 एवं अक्टूबर–2021 प्रशिक्षण तथा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स संविदा पद पर सीधी भर्ती परीक्षा हेतु नियम

1.सामान्य :–

1.1 ये नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हैल्थ (CCH) के प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में प्रशिक्षण तथा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स संविदा पद पर सीधी भर्ती परीक्षा हेतु चयन के नियम कहलायेंगे।

1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो वर्ष 2021 में मध्यप्रदेश के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ के विभिन्न प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में प्रवेश या सीधी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं।

1.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा आधार पर कार्यरत उम्मीदवारों का चयन होने पर प्रशिक्षण/सीधी भर्ती में प्रवेश होने से पूर्व उन्हे अपने वर्तमान पद से त्यागपत्र देना होगा।

1.4 यह परीक्षा नियमितिकरण के लिए नहीं हैं।

2. पदों का विवरण

क्र	प्रवेश प्रक्रिया	कुल सीट	अनारक्षित (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जनजाति (16%)		अन्य पिछड़ा वर्ग (14%)		निःशक्त जनों के लिये (6%)			
	प्रशिक्षण सत्र		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	डी.एच.	एच.एच.	ओ.एच.	एम.डी.
1	अप्रैल 2021	**390**	70	35	26	13	52	26	42	20	37	18	0	0	23	0
2	जुलाई 2021	**900**	163	80	60	30	120	60	96	48	84	42	0	0	54	0
3	अक्टुबर 2021	**390**	70	35	26	13	52	26	42	20	37	18	0	0	23	0
	योग	**1680**	**303**	**150**	**112**	**56**	**224**	**112**	**180**	**88**	**158**	**78**	**0**	**0**	**100**	**0**
4	सीधी भर्ती	**1890**	**342**	**168**	**126**	**63**	**253**	**125**	**202**	**100**	**177**	**88**	**0**	**0**	**113**	**0**
	महायोग	**3570**	**645**	**318**	**238**	**119**	**477**	**237**	**382**	**188**	**335**	**166**	**0**	**0**	**213**	**0**

नोटः–

1– शेष 13 प्रतिशत सीट एवं पदों पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

2– प्रत्येक वर्ग में 33 प्रतिशत सीटें/पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगी।

3. परिभाषाएं :–

इन नियमों में –

2.1 टेस्ट से तात्पर्य है

- Online Written Test for Certificate Course In Community Health Selection Test/ Post of Community Health Officer
- सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ/कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर पद के लिये ऑनलाईन लिखित परीक्षा।

2.2 MPMSU से आशय है – Madhya Pradesh Medical Science University.

2.3 आरक्षित वर्ग से तात्पर्य है: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार।

2.4 विभाग से तात्पर्य है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।

4. प्रशिक्षण हेतु सत्रवार उपलब्ध स्थान, प्रशिक्षण केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रः— CCH प्रशिक्षण हेतु प्रोग्राम स्टडी सेन्टर्स एवं उनमें उपलब्ध स्थानों का विवरण (परिशिष्ट —'अ')

3.1 मेरिट रैंक के अनुसार उम्मीदवारों को MPMSU (अप्रैल—2021 तथा अक्टुबर—2021 सत्र) अथवा IGNOU (जुलाई—2021 सत्र) आवंटित किया जायेगा।

3.2 मेरिट रैंक के अनुसार चयनित उम्मीदवारों के लिये उपस्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थापना हेतु पृथक से काउंसलिंग प्रक्रिया संचालित की जायेगी।

5. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं :—

4.1 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ में प्रवेश हेतुः

अ) भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली अथवा मध्यप्रदेश उपचर्या परिषद (MP Nursing Council) से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों बी.एससी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एससी. या जी.एन.एम. उत्तीर्ण उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में पंजीकृत हो। अन्य राज्यों से बी.एससी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एससी./जी.एन.एम. उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कांउन्सिल में पंजीकृत करने के लिए प्रशिक्षण में प्रवेश तिथि के बाद एक माह का समय दिया जायेगा। यदि एक माह समाप्त होने के पूर्व उम्मीदवार द्वारा पंजीयन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं तत्संबंधी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

ख) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा भारतीय विश्वविद्यालयों या संबद्ध महाविद्यालयों से बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत हो। बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण उम्मीदवारों को आवेदन के साथ इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

4.2 कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स संविदा पद पर सीधी भर्ती परीक्षा हेतुः

4.2.1 बी.एस.सी. (नर्सिंग)/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) के साथ कम्युनिटी हैल्थ में एकीकृत सर्टिफिकेट कोर्स जो भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा मान्यकृत है (जिसके लिये अंतिम वर्ष की परीक्षा 2020—21सत्र में आयोजित की जायेगी) (B.Sc. (Nursing) OR Post Basic B. Sc. (Nursing) with Integrated Certificate Course in Community Health recogniz ed by Indian Nursing Council, New Delhi (For which final year of examination shall be held in 2020-21 session) |

4.2.2 ऐसे उम्मीदवार जिनकी अंतिम वर्ष की परीक्षा 2020—21 सत्र में आयोजित की जायेगी, उन्हे ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिये गये प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(परिशिष्ट—' I')**

4.2.3 ऐस उम्मीदवार जिन्होने बी.एस.सी. (नर्सिंग)/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) के साथ कम्युनिटी हैल्थ में एकीकृत सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया है, उन्हे ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिये गये प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **(परिशिष्ट—' I I')**

4.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्स को सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व संबंधित उम्मीदवार को अपने वर्तमान पद से त्यागपत्र देना होगा एवं तत्संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

4.4 उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास आवंटित किये बैच में प्रवेश के समय निर्धारित न्यूनतम योग्यता के सभी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। चयनित उम्मीदवारों को आबंटित बैच में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा आवंटित बैच में प्रवेश की अंतिम तिथि तक यदि उम्मीदवार

के पास निर्धारित योग्यता पूर्ण करने का प्रमाण पत्र नहीं है, तो चयन निरस्त करते हुये वह स्थान प्रतीक्षा सूची में से आवंटित की जायेगी।

4.5 उम्मीदवार उपरोक्त योग्यता अनुसार केवल एक प्रकार की चयन प्रक्रिया – (अ) सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ में प्रवेश या (ख) कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स संविदा पद पर सीधी भर्ती परीक्षा, के लिये सम्मिलित हो सकेगा।

4.6 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने एकिकृत सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हैल्थ पाठ्यक्रम के बिना बी.एस.सी. नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम किया है, केवल सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण में प्रवेश परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

6. आरक्षण संबंधी नियम :–

5.1 मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित।
5.2 मध्य प्रदेश के अलावा अन्य उम्मीदवार को एक अनारक्षित उम्मीदवार माना जायेगा।
5.3 विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदक को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगाः
(क) अंधापन और कम दृष्टि
(ख) बहरा और सनने में कठनाई
(ग) दिमागी लकवा, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और पेशी अपविकास सहित अस्थिविषयक दिव्यांगता
(घ) स्वलीनता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता, और मानसिक बीमारी।

7. आयु सीमाः– 21–40 वर्ष दिनांक 01/02/2021 की स्थिति में। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

स्पष्टीकरणः– आयु–सीमा की गणना करते समय हाईस्कूल प्रमाण–पत्र (10) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी, उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

8. निरर्हताए :–

7.1 निम्न संस्थाओं से उत्तीर्ण B.Sc. Nursing मान्य नही होगाः–
अ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)
ब) भोज विश्वविद्यालय
स) स्वाध्यायी अथवा Distance Learning विधि से शिक्षा प्राप्त।

7.2 किसी उम्मीदवार की ओर से उम्मीदवार के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में उसके उपस्थित होने के लिए/चयन के लिये अयोग्य माना जायेगा।

7.3 मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत सेवारत नियमित स्टॉफ नर्सेस उम्मीदवार इस प्रवेश परीक्षा के लिये पात्र नहीं है।

7.4 परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जा सकेगें।

7.5 फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज में फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो, तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जायेगा। चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

7.6 captchaपररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, तो परीक्षा एवं चयन से अयोग्य घोषित किया जायेगा।

7.7 कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला पुलिस/न्यायालय में विचारित है अथवा विभागीय जॉच लंबित है परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह होगा।

7.8 जिन उम्मीदवारों द्वारा पूर्व में इस प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्राप्त किया गया है उन्हें पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं है।

7.9 जिन बी.ए.एम.एस उम्मीदवारों के द्वारा स्नातक डिग्री संबंधी इंटर्नसिप पूर्ण नही की है, प्रवेश परीक्षा के लिये पात्र नही होंगे।

9. आवेदन प्रक्रिया :–

8.1 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण में चयन एवं कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स संविदा पद पर सीधी भर्ती हेतु स्ट्रैटेजिक एलायंस मैनेजमेंट सर्विस प्रायवेट लिमिटेड (SAMS) द्वारा ऑनलाईन चयन परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रश्न पत्र में 100 Multiple Choice Questions होंगे। प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नही होगी। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे होगी।

8.2 परीक्षा केन्द्र SAMS द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

8.3 उम्मीदवार को 17 फरवरी 2021 के मध्यरात्रि 12:59 बजे तक या उससे पहले एस.ए.एम.एस वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवदेन पत्र (ओ.ए.एफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गए आवेदन को वैध नहीं माना जायेगा।

8.4 आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किये गये है। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवदेक का स्टेट्स ''सफलतापूर्वक सबमिट किया गया'' है। आधे भरे हुए आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8.5 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण के उम्मीदवारों के द्वारा SAMS के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों का चयन करने हेतु च्वाईस फिलिंग की प्रक्रिया की जायेगी। कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स संविदा पद पर सीधी भर्ती के उम्मीदवारों पर यह लागू नही होगा।

8.6 लिखित परीक्षा की दिनांक के लिए उम्मीदवार SAMS वेबसाईट द्वारा एडमिट कार्ड डाउन लोड करना सुनिश्चित करें।

8.7 ई–एडमिट कार्ड को एस.ए.एम.एस एवं एन.एच.एम, की आधिकारिक वेबसाइट www.sams.co.in और www.nhmmp.gov.in पर से परीक्षा तिथि के सात (7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा पाठ्यक्रम के साथ एस.ए.एम.एस एवं एन.एच.एम, म. प्र. की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

10. चयन प्रक्रिया :–

9.1 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये SAMS द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

9.2 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण में चयन एवं कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स संविदा पद पर सीधी भर्ती में **चयन हेतु प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर पृथक रैंकिंग (मेरिट सूची) निर्धारित की जायेगी।**

9.3 उक्त मानदण्डों के अनुरूप चयनित उम्मीदवारों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों की संख्या से कम होने पर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आवश्यकतानुसार न्यूनतम अंको की सीमा में कमी करने की कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे।

9.4 **समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता निर्धारण किया जायेगा – प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा अंतर्गत लागू**

9.4.1 जिस उम्मीदवार की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।

9.4.2 समान उम्र होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत ज्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।

9.4.3 समान प्रतिशत मार्क होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का कार्यानुभव ज्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।

9.5 **समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता निर्धारण किया जायेगा – सीधी भर्ती हेतु प्रवेश परीक्षा अंतर्गत लागू**

9.5.1 जिस उम्मीदवार की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।

9.5.2 समान उम्र होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत ज्यादा होगा, वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।

9.5.3 समान स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का 12वीं परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत ज्यादा होगा, वह मेरिट में दूसरे उम्मीदवारों से ऊपर होगा।

10. प्रोग्राम स्टडी सेन्टर्स आवंटन :–

10.1 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ के प्रशिक्षण के लियें **परिशिष्ट – 'ब'** अनुसार प्रोग्राम स्टडी सेन्टर चिन्हित हैं। मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों में इन केन्द्रों तथा दर्शायी गई प्रशिक्षण क्षमता में परिवर्तन किया जा सकेगा।

10.2 प्रवेश परीक्षा के आवेदन में प्रोग्राम स्टडी सेंटर के स्थान चयन के विकल्प उपलब्ध रहेंगे जिन्हे उम्मीदवार पसंद अनुसार क्रम में भरेंगे परन्तु प्रोग्राम स्टडी सेन्टर परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर ही आवंटित किये जायेंगे।

10.3 सीट परिवर्तन होने के स्थिति में उम्मीदवारों के द्वारा **परिशिष्ट – 'ब'** अनुसार भरे गये अतिरिक्त प्रोग्राम स्टडी सेन्टर्स में से आवंटन किया जायेगा।

10.4 आवंटन के पश्चात् प्रोग्राम स्टडी सेन्टर का स्थान अपरिवर्तनीय होगा।

11. प्रवेश प्रक्रिया :–

11.1 परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात् SAMS के माध्यम से उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

11.2 आवंटन पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगा एवं प्रवेश हेतु पात्रता उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत पात्रता के निर्धारण पर आधारित होगा।

11.3 आवंटनः–

11.3.1 प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में निर्धारित दिनांक तक उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। जो उम्मीदवार निर्धारित दिनांक तक प्रवेश नहीं लेते है उनका चयन निरस्त कर दिया जायेगा एवं वह स्थान प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा।

11.3.2 उप स्वास्थ्य केन्द्र आवंटन प्रक्रिया पृथक से संचालित की जायेगी। इस हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश पृथक से प्रकासित की जायेगी। उम्मीदवार की मेरिट रैंक वरीयता के आधार पर उपस्वास्थ्य केन्द्र आवंटित किया जायेगा।

11.4 गर्भावस्था की स्थिति में उम्मीदवार को आगामी बैच में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे उम्मीदवारों को वर्तमान प्रवेश परीक्षा के आधार पर अधिकतम अक्टूबर–2021 में प्रवेश दिया जा सकेगा।

12. प्रशिक्षण संबंधी दिशा निर्देश :–

12.1 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ में प्रवेश हेतु चयनित उम्मीदवारों को प्रवेश के समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के पक्ष में प्रवेश पश्चात 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं हैल्थ एवं वैलनेस सेन्टर पर पदस्थापना उपरांत निरंतर न्यूनतम तीन वर्ष कार्य संपादन करने 2 लाख रूपये का बंध–पत्र (Bond) निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा। प्रवेश लेने के बाद यदि कोई उम्मीदवार प्रशिक्षण को छोड़ता है तो उम्मीदवार द्वारा निम्नानुसार राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को देय होगी।

12.1.1 प्रवेश के समय उम्मीदवार द्वारा प्रशिक्षण हेतु IGNOU/MPMSU का पंजीयन शुल्क रू. 15,000 निर्देशानुसार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा जो कि उन्हें स्टाईपेन्ड की अंतिम किश्त के साथ वापस कर दिया जायेगा।

12.1.2 स्टाईपैंड (रू. 10,000/प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी) छात्रावास की सुविधा होने पर प्रशिक्षण संस्था द्वारा छात्रावास हेतु निर्धारित शुल्क काटकर शेष राशि प्रशिक्षणार्थी को भुगतान की जायेगी। छात्रावास सुविधा ना लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भोजन एवं आवास व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित राशि प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से मासिक आधार पर प्रदाय की जायेगी।

13. अन्य दिशा निर्देश :–

13.1 **<u>ऑनलाईन अपलोडः</u>** प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता के निम्नानुसार सभी प्रमाण पत्र **<u>अपलोड करना</u>** अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

- 13.2.1 बी.एससी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एससी., जी.एन.एम. एव ंबी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण अंकसूची एवं डिग्री।
- 13.2.2 रजिस्ट्रार नर्सेस काउंसिल/मध्यप्रदेश आयुर्वेद, युनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र। अन्य राज्यों से बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत करने के लिए चयन के बाद एक माह का समय दिया जायेगा।
- 13.2.3 सीधी भर्ती पात्र उम्मीदवार के लिये,
  - 13.2.2.1 जिनकी अंतिम वर्ष की परीक्षा 2020–21 में आयोजित की जाएगी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिए गए प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा **(परिशिष्ट – I)**।
  - 13.2.2.2 उम्मीदवार, जिन्होंने बी.एस.सी. (नर्सिंग)/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) के साथ कम्युनिटी हैल्थ में एकीकृत सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिए गए प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा **(परिशिष्ट – II)**।
- 13.2.4 10वीं की उत्तीर्ण अंकसूची।
- 13.2.5 मूल निवासी प्रमाण–पत्र।
- 13.2.6 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मध्यप्रदेश द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र।

13.2 **<u>दस्तावेज परीक्षणः</u>** प्रवेशित उम्मीदवार को प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में प्रवेश के लिये स्वयं अपने आवंटन पत्र, आवश्यक मूल दस्तावेजो एवं कोर्स हेतु निर्धारित शुल्क के साथ विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत होना होगा।

- 13.2.7 बी.एससी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एससी., जी.एन.एम. एव ंबी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण अंकसूची एवं डिग्री।
- 13.2.8 सीधी भर्ती पात्र उम्मीदवार के लिये,
  - 13.2.2.3 जिनकी अंतिम वर्ष की परीक्षा 2020–21 में आयोजित की जाएगी, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिए गए प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा **(परिशिष्ट – I)**।
  - 13.2.2.4 उम्मीदवार, जिन्होंने बी.एस.सी. (नर्सिंग)/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. (नर्सिंग) के साथ कम्युनिटी हैल्थ में एकीकृत सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ इस संबंध में अपने नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य से दिए गए प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा **(परिशिष्ट – II)**।
- 13.2.9 10वीं की उत्तीर्ण अंकसूची।
- 13.2.10 मूल निवासी प्रमाण–पत्र।
- 13.2.11 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मध्यप्रदेश द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र।
- 13.2.12 रजिस्ट्रार नर्सेस काउंसिल/मध्यप्रदेश आयुर्वेद, युनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र। अन्य राज्यों से बी.ए.एम.एस. उत्तीर्ण

उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा प्रणाली एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत करने के लिए चयन के बाद एक माह का समय दिया जायेगा।

13.2.13 अनुभव प्रमाण पत्र (प्रशिक्षण हेतु पात्र उम्मीदवार के लिये लागू)

13.2.14 नवीन पासपोर्ट साईज का सत्यापित फोटों।

13.2.15 **बंध पत्रः**

13.2.9.1 **प्रशिक्षण के उम्मीदवारों हेतु** – रूपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर राशि रूपये दो लाख का बंध पत्र जिसमें प्रवेश पश्चात 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं हैल्थ एवं वैलनेस सेन्टर पर पदस्थापना उपरांत निरंतर न्यूनतम तीन वर्ष कार्य संपादन की सहमति का उल्लेख हो।

13.2.9.2 **सीधी भर्ती के उम्मीदवारों हेतु** – रूपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर राशि रूपये दो लाख का बंध पत्र जिसमें प्रवेश पश्चात हैल्थ एवं वैलनेस सेन्टर पर पदस्थापना उपरांत निरंतर न्यूनतम तीन वर्ष कार्य संपादन की सहमति का उल्लेख हो।

13.2.10 मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। न्यूनतम एम.बी.बी.एस. चिकित्सक द्वारा, प्रशिक्षण में प्रवेश से पूर्व 15 दिवस के भीतर जारी किया हुआ।

13.2.11 NHM में संविदा आधार पर कार्यरत स्टॉफ नर्स द्वारा वर्तमान पद से त्याग पत्र दिये जाने की प्रतिलिपि।

13.2.12 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ चयन परीक्षा की अंकसूची एवं प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छायाप्रति।

13.3 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ में प्रशिक्षण एवं सीधी भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया हेतु पृथक से सूचना प्रसारित की जायेगी।

13.4 किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अपात्र माना जायेगा एवं प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

13.5 सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ उत्तीर्ण करने हेतु उम्मीदवारों को दो अवसर प्रदान किये जायेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रशिक्षण के दौरान परीक्षा के प्रथम अवसर तक ही आवास एवं भोजन, परीक्षा शुल्क आदि अन्य संबंधित व्यय का वहन किया जायेगा।

14. प्रवेश रद्द करनाः–

14.1 यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीद्वार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर अथवा सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् प्रमाण–पत्र फर्जी पाये गयें एवं चूकवश प्रवेश मिल गया हैं तो उम्मीद्वार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत रद्द किया जायेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. का निर्णय अंतिम होगा।

14.2 कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स संविदा पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के पश्चात यदि कोई उम्मीदवार बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग की अंतिम परीक्षा में विफल हो जाता है, तो इंटर्न सी.एच.ओ के रूप में ऐसे उम्मीदवार को अनंतिम पदस्थापना को समाप्त कर दिया जायेगा।

15. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने/सीधी भर्ती में चयन के उपरांत न्यूनतम 3 वर्ष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर पर कार्य सम्पादन, अनिवार्यः–

15.1 प्रशिक्षण में प्रवेश के समय/सीधी भर्ती में चयन के उपरांत उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर पर 3 वर्ष निरंतर कार्य सम्पादन के लिये सहमति का राशि रूपये दो लाख का बंध–पत्र (Bond) राशि रूपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर पस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15.2 **प्रशिक्षण के अंतिम माह में (परीक्षा पूर्ण) प्रशिक्षणार्थी से पदस्थापना हेतु चॉइस फिलिंग कराई जायेगी। सिर्फ उन्ही प्रशिक्षणार्थियों का चॉइस फिलिंग की अनुमति दी जायेगी जिनके पास नर्सिंग/आयुष परिषद का पंजीयन होगा। एवं जिनकी सभी क्लीनिकल पोस्टिंग पूरी हो गई हों तथा उपस्थिति पूरी रही हो।**

15.3 सीधी भर्ती में चयन के उपरांत उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर्स में संविदा पदस्थापना हेतु पृथक से काउंसलिंग प्रक्रिया संवचालित की जायेगी।

15.4 प्रावधिक पदस्थापना (Provisional Posting) के दौरान मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि के संबंध में निम्नलिखित बिन्दु लागू होंगे:

15.3.1 प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद विकल्प–चयन आधार पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षु रहने तक मानदेय रू. 15,000/– प्रतिमाह एवं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि अधिकतम रू. 7500/– प्रतिमाह देय होगा। प्रशिक्षु कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स के पदस्थापना स्थल में परिवर्तन, हेतु आवेदन मान्य नही होगा।

15.3.2 कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर संविदा पद पर सीधे चयन होने के बाद विकल्प–चयन आधार पर उम्मीदवारों को प्रावधिक पदस्थापना (Provisional Posting) रहने तक मानदेय रू. 15,000/– प्रतिमाह एवं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि अधिकतम रू. 7500/– प्रतिमाह देय होगा। प्रावधिक पदस्थापना स्थल में परिवर्तन, हेतु आवेदन मान्य नही होगा।

15.4 संविदा पदस्थापना (Contractual Posting) के दौरान मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि के संबंध में निम्नलिखित बिन्दु लागू होंगे:

15.4.1 सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थी को संविदा आधार पर कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के रूप में हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में कार्य करने हेतु आदेशित किया जावेगा। इस दौरान इन्हें एन.एच.एम. मध्यप्रदेश के निर्धारित मानदेय रू 25,000/– प्रतिमाह के अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि अधिकतम रू 15,000/– प्रतिमाह तक प्रदान की जावेगी।

15.4.2 कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर पद पर सीधे चयन होने के उपरान्त संविदा आधार पर हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में कार्य करने हेतु आदेशित किया जावेगा। इस दौरान इन्हें एन.एच.एम. मध्यप्रदेश के निर्धारित मानदेय रू 25,000/– प्रतिमाह के अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि अधिकतम रू 15,000/– प्रतिमाह तक प्रदान की जावेगी।

15.5 उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर्स ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्रो में स्थित स्वास्थ्य संस्थायें हैं। यहां पर पदस्थ कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स को मुख्यालय अर्थात उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर ही निवास करना होगा। ऐसा न करने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पदस्थापना निरस्त करते हुये बाण्ड राशि वसूलने कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

15.6 किसी निजी प्रशिक्षणार्थी/कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर–प्रशिक्षु/कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाय करते पाये जाने अथवा प्रमाणित होने की स्थिति पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पदस्थापना निरस्त करते हुये बाण्ड राशि वसूलने कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

16. कुल 3570 सीटों के अंतर्गत सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण में चयन एवं कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स संविदा पद पर सीधी भर्ती की सीटों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन संबंधी कार्यवाही के लिये मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सक्षम होंगें।

17. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ में प्रवेश हेतु चयन एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के रूप में पदस्थापना के लिये नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. अंतिम प्राधिकारी रहेगा।

18. उम्मीदवार को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशा–निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

19. प्रवेश प्रक्रिया नियमों में संशोधन का अधिकार :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया/प्रशिक्षण केन्द्र/उपलब्ध स्थान/सीटों की संख्या में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन मान्य करना बंधनकारी होगा।

20. प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्ते एवं नियम :–

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हैल्थ प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार को जिन नियमों एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट – 'स' में दिये गये हैं।

****

<u>घोषणा पत्र</u>

1. मै घोषणा करता/करती हूॅं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दषा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2. मै प्रमाणित करता/करती हूॅं कि मुझे किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्व इस प्रकार का कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है। जानकारी असत्य होने की दषा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

3. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने/सीधी भर्ती में चयन होने के उपरांत कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के रूप में मेरी पदस्थापना ग्रामीण उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर की जायेगी एवं वहां रह कर सवायें न देने की स्थिति में मुझे सेवा से पृथक कर दिया जायेगा। मैं इससे सहमत हूँ।

दिनांक ....

स्थान...........................

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ हेतु सीटों का विवरण

सत्र (उपलब्ध स्थान)	क्र. सं.	प्रशिक्षण केन्द्र	उपलब्ध स्थान
MPMSU अप्रैल–सितंबर 2021 (390) अक्टूबर 21–मार्च 2022 (390) कुल 780	1	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन	65
	2	RHFWTC जबलपुर	65
	3	RHFWTC ग्वालियर	65
	4	जी.एन.एम.टी.सी. सिवनी	65
	5	जी.एन.एम.टी.सी. दतिया	65
	6	प्रज्ञान कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	65
MPMSU अतिरिक्त केन्द्र	1	शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर	65
	2	जिला चिकित्सालय भोपाल (जे.पी. हॉस्पिटल)	65
	3	राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान (SIHMC) ग्वालियर	65
	4	चिरायु कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल	65
	5	जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ सांइसेस	65
	6	कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल	65
IGNOU जुलाई–दिसंबर 2021 (900)	1	जिला चिकित्सालय भोपाल (जे.पी. हॉस्पिटल)	60
	2	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल	60
	3	पीपल्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	60
	4	कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग महाविद्यालय भोपाल	60
	5	प्रज्ञान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भोपाल	60
	6	शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर	60
	7	राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान (SIHMC) ग्वालियर	60
	8	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर	60
	9	चोईथराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन्दौर	60
	10	जिला अस्पताल सागर	60
	11	जी.एन.एम. टी.सी. देवास	60
	12	जी.एन.एम. टी.सी. रतलाम	60
	13	जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ सांइसेस	60
	14	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जबलपुर	60
	15	जिला चिकित्सालय धार	60
IGNOU अतिरिक्त केन्द्र	1	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन	60
	2	जी.एन.एम.टी.सी. रायसेन	30
	3	जी.एन.एम.टी.सी. विदिशा	60
	4	जी.एन.एम.टी.सी. झाबुआ	60
	5	RHFWTC जबलपुर	60
	6	जिला चिकित्सालय, शिवपुरी	60
	7	जिला चिकित्सालय, सतना	60
	8	एम्स, भोपाल	60
	9	बी.एम.एच.आर.सी., भोपाल	60

परिशिष्ट –स

<u>सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्ते</u>

1. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ प्रशिक्षण की अवधि 06 माह की होगी।
2. **सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्यूनिटी हेल्थ प्रशिक्षण के पाठयक्रम का माध्यम अंग्रेजी होगा।**
3. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रोग्राम स्टडी सेन्टर से दूसरे प्रोग्राम स्टडी सेन्टर में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है।
4. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी उम्मीदवार के लिये अनिवार्य होगा।
5. प्रषिक्षण में प्रवेष के समय उम्मीदवार को राषि रूपयें 2,00,000/– (दो लाख रूपये) का बंध–पत्र (Bond) निष्पादित करना अनिवार्य है। यह अनुबंध प्रवेष उपरांत प्रषिक्षण अवधि पूर्ण करने एवं प्रषिक्षण उपरांत न्यूनतम 3 वर्ष तक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कार्य सम्पादन के लियें प्रभावी होगा।
6. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर अथवा प्राचार्य की शिकायत के आधार पर उम्मीदवार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित करने का अधिकार शासन को होगा।

मुख्य प्रषासकीय अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

[Format for Certification from Principal for Applying for CHO, NHM, MP]

[*For Candidates who shall be <u>APPEARING IN FINAL EXAMINATION</u> of BSc (Nursing)/ Post Basic BSc (Nursing) ALONG WITH Integrated Certificate Course in Community Health (CCH)*]

College Letter Head

Certificate

This is to certify that Mr/ Ms/ Mrs __________________ university enrolment number ____________________ Son/daughter/ Wife of _________________ is a final year (Session_________) student of B. Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing course with integrated curriculum of Certificate in Community Health as per notification of university. He/ she is due to appear in forthcoming final examination of the course.

Dated……………………..

Signatures with Seal

[Format for Certification from Principal for Applying for CHO, NHM, MP]

[For Candidate who has <u>COMPLETED</u> BSc (Nursing)/ Post Basic BSc (Nursing) ALONG WITH Integrated Certificate Course in Community Health (CCH)]

College Letter Head

Certificate

This is to certify that Mr/ Ms/ Mrs __________________ university enrolment number __________________ Son/daughter/ Wife of ____________________ has completed B. Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing course on (Date of Completion of the Course: ______) with integrated curriculum of Certificate in Community Health as per notification of university.

Dated……………………..

Signatures with Seal